न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 66 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सुशीला देवी पत्नि बुधाराम जाति माली, नि0 बम्बोलिया नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राज0)।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत 2. नारायणी पत्नि दमाराम जाति माली, नि0 मालियो का बडा बास, सोजतसिटी, 3. फेफी देवी पुत्री दमाराम पत्नि घीसुलाल, जाति माली, नि0 बेरा नेहड़ा, सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली राज.। 4. रेखा पुत्री दमाराम पत्नि जवरीलाल, जाति माली, नि0 मालियो का बड़ा बास, सोजतसिटी, तह0 सोजत 5. सुदी देवी पत्नि नाथुराम, जाति माली, नि0 नृसिंगपुरा, सोजत सिटी, तह0 सोजत, जि0 पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

01. श्री खेतसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांकः 14.07.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत के चक प्रथम के वर्तमान खसरा नंबर 1947 / 1 रकबा 0.0150 है0 खसरा नंबर 1948 रकबा 0. 0600 है0 किस्म मेहन्दी की कृषि भूमिं प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की स्थित है, जो कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्रार्थीया को न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व वाद संख्या 13 / 2016 बअनवान सुशीला बनाम वेनाराम वगैरह में पारित निर्णय 30.06. 2017 के जरिए किये गये बंटवाड़ा के तहत प्राप्त हुए है। अप्रार्थीगण की तमाम की भूमि के पड़ौस में खसरा नंबर 1947 रकबा 0.0300 है0 किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि स्थित है जिसके खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 से 4 है तथा इसी प्रकार प्रार्थीया की भूमि के पड़ौस में एक अन्य कृषि भूमि खसरा नंबर 1947 / 2 रकबा 0.01500 है0 किस्म मेहन्दी स्थित हैं जिसकी खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 1948 व 1947 / 1 की सीमा को लेकर हर बार विवाद करते रहते है जिस पर प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी की कृषि भूमि के सीमांकन के लिए गत दिनांक 18.03.2019 को नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जिसकी पालना में दिनांक 19.12.2019 को हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन कर प्रार्थीया को सीमाओं से अवगत करवाया गया परन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 सीमा को लेकर विवाद कर रहे है सीमा को गलत बता रहे है तथा प्रार्थीया द्वारा सीमा पर गाढे गए पत्थर की पटटीयों को अप्रार्थी चोरी छिपे तोड़ देते है एवं हाल ही में दिनांक 14.01.2021 को पटटीया तोड़ी दी है। प्रार्थीया को उसकी कृषि भूमि की सीमा को लेकर अप्रार्थीगण विवाद कर परेशान कर रहे है इसलिए प्रार्थीया इसकी कृषि भूमि खसरा नंबर 1948 एवं 1947 / 1 की बाद सीमांकन पत्थरगढी नियमानुसार करवाना चाहती है जो करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 किया गया। जबाब प्रा0 पत्र पेश नही किये जाने से जबाब प्रा0 पत्र पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र प्रार्थी की सरहद मौजा सोजत के चक प्रथम के वर्तमान खसरा नंबर 1947/1 रकबा 0.0150 है0 खसरा नंबर 1948 रकबा 0.0600 है0 किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा का बरूवे मौका राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शा अनुसार मौके पर नापचौप करके सीमांकन करवाकर मुटाम लगवाया जावें तत् पश्चात् मौके पर पत्थरगढी/नेखमबन्दी करवायी जाने की ईश्तदुआ की है। बहस के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थित भूमि का यदि सीमांकन किया जाकर जरिए पत्थरगढी मुटाम कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाने तो कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सरहद मौजा सोजत के चक प्रथम के वर्तमान खसरा नंबर 1947/1 रकबा 0.0150 है0 खसरा नंबर 1948 रकबा 0.0600 है0 किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त की भूमि स्थित का सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत के चक प्रथम के वर्तमान खसरा नंबर 1947/1 रकबा 0.0150 है0 खसरा नंबर 1948 रकबा 0.0600 है0 किस्म मेहन्दी की कृषि भूमि प्रार्थीया की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली) राज